

कम (A) 580
2/3/17

621
2/3/17

51 माह

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक:- 551 /आर0एस0एल0ए0
सेवा में,

दिनांक:- 01/3/17

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय:- जनपद रामपुर में रामपुर केमरी (अन्य जिला मार्ग-20) मार्ग के कि0मी0 चौ 13.352 के ग्राम जनूनागर के खसरा नं0-750 तहसील मिलक पर रिटेल आउट (पट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- जिलाधिकारी, रामपुर का कार्यालय पत्र सं0-223/जे0ए0-2 दिनांक 12.01.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्रों का सत्यापन उपरान्त इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रस्तावित पट्रोल पम्प के सामने मार्ग की स्थायी भूमि 15.50 मीटर सड़क की मध्य रेखा से एक ओर प्रमाणित की जाती है। रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 18.30 मीटर की लम्बवत दूरी पर अनुमति दिये जाने की संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है।

यह मार्ग यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत नोटिफाइड मार्ग है।

1. प्रस्तावित निर्माण का कार्य अनुमोदित प्लान के अनुसार कराना होगा।
2. निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक होगा।
3. भू-स्वामित्व के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण यदि विनयमित क्षेत्र, नगर पालिका, टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत आता है, तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति कराना आवश्यक होगी।
5. अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण करना आवश्यक होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. रिटेल आउटलेट की सतह मार्ग की सतह से नीचे रखनी अनिवार्य होगी।
7. प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुंच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण करना आवश्यक होगा एवं विधिवत अनुबंध कराना भी आवश्यक होगा।

संलग्नक-1. प्लान तीन प्रति में

2. जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र की छायाप्रति
3. चेक लिस्ट 2 सेट में

प्रो. JETI
2/3/17

पत्रांक:- /आर0एस0एल0ए0
प्रतिलिपि -

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर
दिनांक:-

1. प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामपुर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
- रामपुर वृत्त, लो०नि०वि०, रामपुर

20

पत्रांक:- 621/51काम-रा०वृत्त/16-17

दिनांक:- 07/03/2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद रामपुर केमरी (अन्य जिला मार्ग-20) मार्ग के कि०मी० चौ०-13.352 के ग्राम जनूनागर के खसरा नं०-750 तहसील मिलक रिटेल-आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर का पत्रांक 551/आर०एस०एल०ए० दिनांक 01.03.2017 (छाया प्रति संलग्न)।

महोदय,

अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर ने विषयगत मार्ग पर रिटेल आउटलेट लगाने हेतु कार्य स्थल की जॉचोपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण यू०पी० रोड साइड लैण्ड कण्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 18.30 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों सहित प्रेषित किया है:-

1. प्रस्तावित निर्माण का कार्य अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2. निर्माण कार्य अनुमति उपरान्त एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3. भू-स्वामित्व के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण यदि विनयमित क्षेत्र, नगर पालिका, टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत आता है, तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति कराना आवश्यक होगी।
5. अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण करना आवश्यक होगा, किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. रिटेल-आउटलेट की सतह मार्ग की सतह से नीचे रखनी अनिवार्य होगी।
7. प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।

अतः अधिशारी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के आधार पर मानचित्र में आंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति दिये जाने हेतु पूर्ण प्रकरण संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक:- 1. प्रकरण मूल मे।

2. मानचित्र दो प्रति मूल मे।

(महमूद आलम)
अधीक्षण अभियन्ता,

प्रतिलिपि :- अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो०नि०वि०, रामपुर।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता

मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 1252 /154काम-मु0क्षे0/17

दिनांक- 17-3-2017

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर ।

विषय :- जनपद रामपुर केमरी (अन्य जिला मार्ग-20) मार्ग के कि0मी0 चै0-13.352 के ग्राम जनूनागर के खसरा नं0-750 तहसील मिलक रिटेल-आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-621/51काम-रा0वृत्त/16-17 दिनांक 07.03.2017

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद रामपुर केमरी (अन्य जिला मार्ग-20) मार्ग के कि0मी0 चै0-13.352 के ग्राम जनूनागर के खसरा नं0-750 तहसील मिलक रिटेल-आउट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, बरेली को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है ।

- 1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा ।
- 2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा ।
- 3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
- 4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस एवं प्रोसेसिंग फीस से सम्बन्धित वांछित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें ।
- 5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।
- 6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा ।
- 7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे ।
- 8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा ।
- 9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

अतः उपरोक्त प्रकरण अपने स्तर से जिलाधिकारी, रामपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- 1-साईट प्लान-1

2-अधी0अभि0, रा0वृत्त का पत्र सं0-621/
51काम-रा0वृत्त/16-17 दिनांक 07.03.2017
(छाया प्रति संलग्न)


(के0के0 सिंह राठौर)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 07.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद ।